न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री देवेन्द्र कुमार,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या–193 / 2025

GCMS No.- 2025/235

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय नागौर		1. श्री दिनेश सैनी पुत्र श्री गुलाब चंद निवासी विजय वल्लभ चौक के पास डीडवाना रोड़, नागौर 2. श्री विनोद खटीक पुत्र श्री आसुराम खटीक निवासी वार्ड नम्बर 18 खटीक बस्ती, लाडनूँ (वाहन मालिक एवं चालक)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक
2. अप्रार्थी सं0 02 की ओर से वकील श्री हरिराम खारड़िया।
3. अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद तामिल अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– **20.05.2026**

प्रार्थी द्वारा यह प्रकरण अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत पेश कर प्रकरण में जब्त सुदा 46 घरेलू गैस सिलेण्डर व 09 वाणिज्यक गैस सिलेण्डर मय गैस एवं एक इलेक्ट्रोनिक कांटा मय 3 फीट तार, 1 एच.पी. का रेगूलेटर मय 4 फीट गैस पाईप,गैस भरने का 01 यंत्र (नोजल), 01 गैस भरने की मशीन मोटर एवं वाहन संख्या RJ 37 CB 3105 को समपहरण (Confiscation) किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जबाब देही तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 2 ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना–पत्र दिनांक 24.12.2025 पेश कर उनके वाहन को गलत तौर पर जब्त किये जाने से जब्तसुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्द करने का निवेदन किया है।

प्रकरण में बहस सुनी गई ।

प्रार्थी का बहस में कथन है कि दिनांक 10.12.2025 को जिला रसद अधिकारी महोदय, नागौर मय प्रवर्तन अधिकारी श्री देवाराम सारण व प्रवर्तन निरीक्षक बजरंग मय पुलिस जाप्ता मुखबीर की सूचना के आधार पर गैस सिलेण्डर्स की कालाबाजारी व घरेलू गैस सिलेण्डर्स के अवैध व्यापार/ भण्डारण संबंधी सूचना पर विजय वल्लभ चौराहा के पास स्थित दुकान पर पहूंचे। मौके पर वाहन

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

संख्या RJ 37 CB 3105 खड़ी थी जिसमें पाईप लगा हुआ था। यह पाईप दूसरे सिरे से एक सिलेण्डर व मोटर से जुड़ा हुआ था। पाईप के माध्यम से वाहन संख्या RJ 37 CB 3105 में गैस भरी जा रही थी। मौके पर दुकान में प्रथम दृष्टया देखने पर कई घरेलू व कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर्स, इलेक्ट्रिक मापतोल कांटा, गैस पाईप, रेगूलेटर इत्यादि रखे हुए थे। वाहन के चालक श्री विनोद पुत्र श्री आसुराम निवासी लाडनूं मौके पर उपस्थित थे। श्री विनोद से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वह लाडनूं जा रहे थे आज सुबह ही लाडनूं से नागौर आ रहे थे, हम नागौर कपड़े विक्रय के लिए आते हैं। आज गाड़ी में गैस खत्म होने लगी तो आस–पास पूछने पर इस दुकान का पता बताया इसलिए यहां पर गैस भरवाने के लिए आने पर दुकान पर उपस्थित व्यक्ति से पूछा तो उसने बताया कि एक घरेलू गैस सिलेण्डर की गैस रूपये 1100/–में भरूंगा तो हमने सहमति प्रदान की तथा गैस भरवाना शुरू किया। मौके पर श्री दिनेश सैनी पुत्र श्री गुलाब चंद निवासी नागौर उपस्थित थे जिन्होनें यह बताया कि यह दुकान उनके स्वयं द्वारा संचालित की जा रही है। श्री दिनेश सैनी द्वारा बताया गया कि वह घरेलू गैस, दुकान, होटल संचालकों को बेचते हैं व वाहन ओटो इत्यादि में भी गैस भरते हैं। वाहन, ऑटो इत्यादि में 50 से 100 रूपये अतिरिक्त लेकर गैस भर देता हूँ। श्री दिनेश सैनी की उपस्थिति में दुकान के पास अन्यत्र दुकान जो कि पुराना प्याउ है का निरीक्षण करने पर इस प्याउ सदृश्य दुकान में गैस सिलेण्डर्स रखे हुए थे। मूल दुकान व प्याउ सदृश्य दुकान में कुल 55 गैस सिलेण्डर्स का भण्डारण किया हुआ पाया गया।

गैर सायल श्री दिनेश सैनी से गैस सिलेण्डर्स के भण्डारण, व्यापार के सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज/अनुज्ञा पत्र/कागजात इत्यादि प्रस्तुत करने के लिए कहा गया जिस पर श्री दिनेश सैनी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके पास इसके संबंध में किसी भी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज/अनुज्ञा पत्र/कागजात नहीं है। इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डर्स के अनाधिकृत वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग अवैध भण्डारण करना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए व धारा 3/7 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लघंन है, जो कि दण्डनीय अपराध है। उक्त अधिनियम व आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर एक इलेक्ट्रोनिक कांटा मय 3 फीट तार, 1 एच.पी. का रेगूलेटर मय 4 फीट गैस पाईप, गैस भरने का 1 यंत्र (नोजल), 1 गैस भरने की मशीन मोटर सहित (उषा कम्पनी की मोटर) (नटराज कम्पनी की गैस भरने की मशीन) से दो पाइप जुड़े हुए है, जिसमें से 1 पाइप 6 फीट का तथा दूसरा पाईप 3 फीट का है उषा कम्पनी की मोटर से 6 फीट इलेक्ट्रिक तार जुड़ा हुआ है, वाहन संख्या RJ 37 CB 3105 मारूती सुजुकी इको कम्पनी व निम्नानुसार घरेलू गैस सिलेण्डर व कॉर्मिशयल गैस सिलेण्डर्स को जब्त कर मौके पर ही फर्द मौका मय जब्ती व सुपुर्दगीनामा व घरेलू गैस सिलेण्डर व कॉर्मिशयल गैस सिलेण्डर्स की तलपट्टी तैयार की गई जो इस प्रकार है :–

क्र.सं.	सिलेण्डर का एस.बार. क्रमांक	तेल कम्पनी का नाम	सिलेण्डर में पाई गई शुद्ध गैस का वजन (किलो ग्राम मे)
1	41542	IOCL	14-2 Kg.
2	3380810 S	HPCL	Nil
3	895724	BPCL	14-2 Kg.
4	1237410	HPCL	Nil
5	386959	HPCL	Nil
6	158985 B	HPCL	Nil
7	74645445 S	HPCL	Nil

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

8	4168 F	HPCL	Nil
9	444817 T	HPCL	Nil
10	432132 S	HPCL	Nil
11	611834 S	HPCL	Nil
12	52376 S	HPCL	Nil
13	4700 S	BPCL	14-2 Kg.
14	35871 T	BPCL	14-2 Kg.
15	098901 S	BPCL	14-2 Kg.
16	978409	BPCL	14-2 Kg.
17	91080 (वाणिज्यिक)	HPCL	Nil
18	5150 (वाणिज्यिक)	HPCL	Nil
19	10057 (वाणिज्यिक)	HPCL	19 Kg.
20	184718 (वाणिज्यिक)	HPCL	Nil
21	7195 (वाणिज्यिक)	HPCL	Nil
22	15611 (वाणिज्यिक)	HPCL	Nil
23	015068 (वाणिज्यिक)	HPCL	Nil
24	55851 (वाणिज्यिक)	BPCL	Nil
25	2890	स्वास्तिक	Nil
26	51737 T	HPCL	Nil
27	147815 S	HPCL	Nil
28	117803	HPCL	Nil
29	26848	HPCL	Nil
30	506371 T	HPCL	Nil
31	556101 S	HPCL	Nil
32	198357	HPCL	Nil
33	416294	HPCL	Nil
34	5948781	HPCL	Nil
35	309	HPCL	Nil
36	182335	HPCL	Nil
37	104440	HPCL	Nil
38	63748	HPCL	Nil
39	321 L 265	HPCL	Nil
40	433580	HPCL	Nil
41	451572 T	HPCL	Nil
42	388475	HPCL	Nil
43	2026805	HPCL	Nil
44	7926333	HPCL	Nil
45	17586	HPCL	Nil
46	066959	HPCL	Nil
47	0214	HPCL	Nil
48	29099	HPCL	Nil
49	33884	HPCL	Nil
50	990064	HPCL	Nil
51	46595	HPCL	Nil
52	14776 S	HPCL	Nil
53	553245	HPCL	Nil

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

54	517568	HPCL	Nil
55	16040 (वाणिज्यिक)	HPCL	Nil
कुल गैस –			104-2 Kg

उपर्युक्तानुसार जप्तशुदा घरेलू व कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर एवं समस्त सामग्री को मैसर्स नागौर गैस सर्विस के प्रतिनिधि श्री अलीशेर पुत्र श्री जमाल खां निवासी सोमणा व श्री आनन्द अग्रवाल प्रबन्धक मैसर्स नागौर गैस सर्विस को प्रकरण का निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये।

इस प्रकार अप्रार्थी का उक्त कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लघंन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तशुदा 46 घरेलू गैस सिलेण्डर व 9 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर मय गैस एवं एक इलेक्ट्रोनिक कांटा मय 3 फीट तार, 1 एच.पी. का रेगूलेटर मय 4 फीट गैस पाईप, गैस भरने का 1 यंत्र (नोजल), 1 गैस भरने की मशीन मोटर सहित (उशा कम्पनी की मोटर) (नटराज कम्पनी की गैस भरने की मशीन) से दो पाइप जुड़े हुए है, जिसमें से 1 पाइप 6 फीट का तथा दूसरा पाईप 3 फीट का है उषा कम्पनी की मोटर से 6 फीट इलेक्ट्रिक तार जुड़ा हुआ है को एवं एक वाहन संख्या RJ37 CB 3105 मारूती सुजुकी इको कम्पनी को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान किये जावे।

विद्वान वकील गैर सायल संख्या 2 का कथन है कि हमारी गाड़ी में किसी प्रकार की गैस नहीं भरी जा रही थी केवल मात्र दुकान के पास खड़ी थी जिसे रसद विभाग द्वारा बिना किसी वजह से जब्त की है। मेरी गाड़ी इतने दिनों से खड़ी होने से मेरा व्यवसाय चोपट हो रहा है तथा वाहन भी खराब हो रहा है। इसलिए निवेदन है कि मेरे विरूद्ध प्रकरण ड्रोप किया जावे तथा गाड़ी मुझे सुपुर्द किया जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैर सायल संख्या 01 को जरिये नोटिस तलब किया जाने पर उनकी तामिल पर्याप्त हो जाने के बावजूद उनके द्वारा इस प्रार्थना–पत्र का जबाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से तथा फर्द जब्ती पर गैर सायल संख्या 1 के हस्ताक्षर होने से यह साबित है कि गैर सायल द्वारा बिना किसी आवश्यक दस्तावेज/अनुज्ञा पत्र के गैस सिलेण्डर्स का भण्डारण, व्यापारएवं वाहनों में रिफिलिंग की जा रही है जो गैर कानूनी है।

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संलग्न फर्द जब्ती पर गैर सायल संख्या 2 के भी हस्ताक्षर है जिसमें उसने स्वीकार किया है कि उनके द्वारा गाड़ी में गैस खत्म होने पर गैस भरवाना शुरू किया इतने में पुलिस एवं सरकारी अधिकारी आ गये। इस प्रकार गैर सायल संख्या 2 के इस स्वीकृत तथ्य से यह प्रकट है कि गैर सायल संख्या 2 द्वारा अवैध गैस भरवायी जाकर गाड़ी के उपयोग में लिया जा रहा है, अप्रार्थी संख्या 2 का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3,6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लघंन है,जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्तशुदा 46 घरेलू गैस सिलेण्डर व 9 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर मय गैस एवं एक इलेक्ट्रोनिक कांटा मय 3 फीट तार, 1 एच.पी. का रेगूलेटर मय 4 फीट गैस पाईप, गैस भरने का 1 यंत्र (नोजल), 1 गैस

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

भरने की मशीन मोटर सहित (उषा कम्पनी की मोटर) (नटराज कम्पनी की गैस भरने की मशीन) से दो पाइप जुड़े हुए है, जिसमें से 1 पाइप 6 फीट का तथा दूसरा पाईप 3 फीट का है उषा कम्पनी की मोटर से 6 फीट इलेक्ट्रिक तार जुड़ा हुआ है, वाहन संख्या RJ37 CB 3105 मारूती सुजुकी इको कम्पनी को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscate) किया जाता है।

प्रकरण में जब्त सुदा उपर्युक्त गैस सिलेण्डरों मय गैस का कीमतन निस्तारण किये जाने तथा अन्य जब्त सामग्री को जरिये निलामी विक्रय कर राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये जाते है। इनसे प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है तथा राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये जाते है।

प्रकरण में जब्त सुदा वाहन संख्या RJ37 CB 3105 मारूती सुजुकी इको कम्पनी का समपहरण (Confiscate) करने के विकल्प में वाहन मालिक अप्रार्थी संख्या 2 श्री विनोद खटीक को पर 32000 / –(अक्षरे बत्तीस हजार रूपये) का जुर्माना अधिरोपित किया जाता हैं। अप्रार्थी संख्या 2 को इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस में उक्त जुर्माना राशि जिला रसद अधिकारी, नागौर के कार्यालय में जमा करवाने का आदेश दिया जाता है। उक्त जुर्माना राशि जमा करवा दिये जाने पर उक्त जब्तसुदा वाहन को मुक्त कर दिया जावे। उक्तानुसार प्राप्त जुर्माना राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है तथा उक्त राशि को राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त जुर्माना राशि समयावधि में जमा नहीं करवाये जाने पर उक्त जब्तशुदा वाहन की नियमानुसार नीलामी कर,नीलामी से प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित रहेगी एवं उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जायेगी। आदेशानुसार पालना हेतु जिला रसद अधिकारी, नागौर को निर्णय की प्रति भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(देवेन्द्र कुमार)
कलक्टर नागौर
जिला कलक्टर,
नागौर